NCPEDP - Javed Abidi Fellowship on Disability

Supported by Azim Premji Foundation

Baseline Report

कृष्णा यादव

yadavkrish856@gmail.com

Nawagarh Block, Chhattisgarh

Understanding the Status of Inclusion in Primary Education of Children with Disabilities

(विकलांग बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में समावेशन की स्थिति)

Contents

1 कार्यकारी सारांश 3

2 पृष्ठभूमि 4

3 शोध - विधि 8

4 नवागढ़ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की संख्या 9

5 दिव्यांग बच्चों के समक्ष समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ: 13

6 निष्कर्ष एवं सुझाव 19

7 संदर्भ 20

1 कार्यकारी सारांश

किसी भी समाज या देश के विकास में शिक्षा पहली सीढी की भूमिका निभाती है | अच्छी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक सभी लोगों की पहुँच समान रूप से होगा तभी हर तबके के लोग विकास कर पाएंगे | ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति तो दयनीय है ही किन्तु दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की बात की जाए तो यह और भी चिंताजनक है | व्यक्ति की सीखने की प्रक्रिया जन्म से ही निरंतर चलती रहती है लेकिन शैक्षणिक संस्थान और शिक्षा व्यवस्था हमें सभ्य समाज में एक बेहतर इंसान बनाने का कार्य करती है | आत्मसम्मान ,गरिमा और आत्मनिर्भर होकर जीना सिखाती है | हमारे आस - पास अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने अपनी दिव्यांगता को अपने लक्ष्य में कभी भी बाधा नहीं बनने दिया | अभी हाल - फिलहाल में ही जम्मू -कश्मीर की शीतल देवी ने भुजाहीन होने के बावजूद भी दो गोल्ड मेडल एशियाई पैरालिम्पिक खेल में जीतकर देश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया | थॉमस अल्वा एडिसन , जो सुन नहीं सकते थे उन्होंने पूरी दुनिया के लिए बल्ब का आविष्कार करके चमत्कृत कर दिखाया | स्टीफन हॉकिंग्स महान वैज्ञानिकों में शुमार होते हैं जबकि उनका पूरा शरीर विकलांगता से ग्रसित था केवल मस्तिष्क सक्रिय था | इसका अर्थ है कि अवसर की समानता यदि सबके पास समान रूप से हो तभी समाज के हाशियकृत लोगों को आगे बढ़ने और जीवन में कुछ करने का अवसर मिल पाएगा |

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा की स्थिति के अध्ययन के लिए नवागढ़ ब्लॉक के कुल 40 बच्चों का प्रतिदर्श मेरे द्वारा लिया गया है | पालकों और दिव्यांग बच्चों से मिलकर ,उनसे साक्षात्कार ऑफ लाइन या फोन बेस्ड करके जानकारी इकट्ठा किया गया है | इस अध्ययन में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया गया है |

2 पृष्ठभूमि

भारत का संविधान दिव्यांग जनों सहित सभी व्यक्तियों की समानता , स्वतंत्रता , न्याय और गरिमा को सुनिश्चित करता है तथा सभी के लिए एक समावेशी समाज को अनिवार्य करता है | हालांकि , दिव्यांगता को मापना एक जटिल परिघटना है | क्योंकि अलग - अलग दृष्टिकोणों के कारण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगता की परिभाषाएं व्यापक रूप से भिन्न - भिन्न हैं |

भारत दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्त्ता रहा है | हालांकि वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने संकेत दिया कि एशिया - प्रशांत क्षेत्र के देशों द्वारा 44% संकेतकों का पालन नहीं किया जाता है | इसे भारत के संदर्भ में देखें तो न्याय तक पहुँच और समावेशी होने का अधिकार एक चुनौती है क्योंकि भारत में दिव्यांग के रूप में वर्गीकृत होने के लिए कठोर शर्तें आरोपित हैं जिन्हें संबोधित किए जाने की आवश्यकता है | संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत दिव्यांग जनों के अधिकारों पर अभिसमय (CRPD),2006 की प्रस्तावना में दिव्यांगता को इस रूप में वर्णित किया गया है: "दिव्यांगता दिव्यांगजनों और व्यवहारगत एवं पर्यावरणीय बाधाओं के बीच अंतःक्रिया उत्पन्न होती है जो अन्य व्यक्तियों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी को अवरुद्ध करती है।" संयुक्त राष्ट्र की यह अभिव्यक्ति दिव्यांगता के चिकित्सा मॉडल से सामाजिक मॉडल की ओर एक संक्रमण को दर्शाती है।

भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत सभी मूल अधिकारों के पीछे व्यक्ति की समानता और गरिमा एक मौलिक धारणा है, जो दिव्यांगजनों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में घोषणा की गई है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 46 राज्य के लिये यह दायित्व निर्धारित करता है कि वह कमज़ोर वर्गों के लोगों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की विशेष देखभाल करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करते हुए दिव्यांगता के विषय को राज्य सूची में रखा है।

भारत में दिव्यांगजनों के जीवन की मुख्य चुनौतियाँ :

चिह्नित नहीं करना, विकास से वंचित करना: भारत में दिव्यांगता को चिह्नित करने की जटिलता न केवल हमें मानव विकास के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर पीछे रखती है, बल्कि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य देखभाल एवं कल्याण तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये न्यायपालिका और नौकरशाही तक पहुँच सकने से अवरुद्ध भी करती है। इसके साथ ही, प्रमाणीकरण की एक परत दिव्यांगजनों (PwD), विशेष रूप से मानसिक दिव्यांगजनों को कल्याण के गलियारों तक पहुँचने से वंचित कर देती है क्योंकि उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया जाता है।

अवसंरचनात्मक पहुँच का अभाव: दिव्यांगजनों द्वारा स्वच्छता, सीढ़ी, रैंप, कैंटीन एवं मनोरंजन कक्ष, अलग वॉश रूम, उद्यान क्षेत्र जैसे बुनियादी ढाँचों के अभाव का सामना करना पड़ता है इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवा प्रतिभाशाली दिव्यांगजनों को रोज़गार अवसरों से वंचित रहना पड़ता है क्योंकि रोज़गार के अवसर प्रायः शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उन्हें कभी-कभी नौकरी छोड़नी भी पड़ती है क्योंकि परिवहन सुविधाएँ उपयुक्त नहीं होती हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगता अधिक मौजूद है।

समानुभूति के बजाय सहानुभूति का व्यवहार: सहपाठियों/सहकर्मियों और शिक्षकों की असंवेदनशीलता, समावेशी शिक्षा तक पहुँच, अधिकारों का संस्थानीकरण आदि कुछ प्रमुख चिंताएँ हैं जो प्रायः दिव्यांग उम्मीदवारों द्वारा व्यक्त की जाती हैं, जिन्हें किसी तरह स्वीकार तो किया जाता है लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। नतीजतन,दिव्यांगजनों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की रिपोर्ट के अनुसार समयबद्ध सर्वेक्षण का अभाव और नीति विलंबन: विकलांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 दिव्यांग बच्चों की पहचान करने, उनकी विशेष ज़रूरतों और उनकी पूर्ति की स्थिति का पता लगाने के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष पर स्कूल जाने वाले बच्चों के सर्वेक्षण का प्रावधान करता है। लेकिन चूँकि प्राथमिक सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है, इसलिये अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नीति निर्माण अभी भी पाइपलाइन में है।

समावेशी शिक्षा का अभाव: कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कई दिव्यांग बच्चों को महामारी के प्रकोप का सामना करना पड़ा। जनभागीदारी शून्य होने के कारण, उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिये स्क्राइब, सांकेतिक भाषा के दुभाषिए आदि खोजने में संघर्ष करना पड़ा। भले ही स्कूली पाठ्यक्रम को त्वरित रूप से ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित कर दिया गया था, समावेशी शिक्षण को हानि उठानी पड़ी। इसने मौजूदा समस्याओं को और कष्टजनक बनाया।

रोज़गार सुरक्षा का अभाव: बेरोज़गारी प्रमुख कारकों में से एक है क्योंकि ऐसे प्रतिकूल समय में दिव्यांगजन नौकरी से निकाल दिए जाने के लिये सबसे पहले बलि का बकरा बनाए जाते हैं। कंपनियों द्वारा लागत में कटौती के तरीके अपनाए जाने पर सबसे पहले उन्हें ही उनकी सेवाओं से मुक्त कर दिया जाता है।

https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/destigmatising-disability/print/manual

दिव्यांग बच्चों को शैक्षणिक मुख्यधारा में जोड़ने हेतु राज्य और केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा कई शैक्षणिक कार्यक्रम चलाये गए, जिनमें "सभी के लिए शिक्षा" को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) को लागू किया गया, जो कि कई शिक्षा कार्यक्रमों में से एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। लेकिन इस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम का विस्तार जमीनी स्तर पर पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है एवं हम यह कह सकते हैं कि इस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम का जो लक्ष्य निर्धारण था, उसे प्राप्त नहीं किया जा सका। तत्पश्चात् परिणाम भी संतोषजनक प्राप्त नहीं हुए। समाज के बहिष्कृत बच्चों के लिए "सभी बच्चों के लिए शिक्षा" उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1994 के बाद समावेशी शिक्षा की जोरदार सिफारिश की गई है, जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) द्वारा अपनाए गए समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण से स्पष्ट है।

पहली बार देश में एसएसए के तहत समावेशी शिक्षा की अवधारणा को पेश किया गया था, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि विशेष आवश्यकता वाले हर बच्चे को, चाहे वह किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हो, विकलांगता की जो भी गंभीरता हो एवं किसी भी जाति का हो, उनको एक उपयुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान की जानी है। इस उद्देश्य के लिए, एसएसए में "शून्य अस्वीकृति नीति" को अपनाया गया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा

प्रणाली (एसएसए, 2007) से वंचित न रहे। इससे पहले समावेशी शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करने के लिए आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता ने अपना तर्क प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को शिक्षित करने पर रखा था।

एसएसए ने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए, जैसे - शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा और गृह-आधारित शिक्षा इत्यादि।
हालांकि, एसएसए के द्वारा दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा से जोड़ने की लक्ष्य-प्राप्ति के किए गए प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके, क्योंकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल नामांकन अनुपात में वृद्धि ही प्र्याप्त नहीं हैं। इसके बाबजूद हम समावेशी स्कूल के महत्त्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते, चाहे इसके कितने भी दोष क्यों न हों। इसके बेहतर प्रदर्शन में कई बाधाएँ निहित हो सकती हैं, जैसे गरीबी, विशिष्ट शिक्षकों की कम संख्या, विद्यालय परिसर में बुनियादी सुविधाओं की कमी, जागरूकता की कमी, नियमित शिक्षकों और परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग की कमी और सांस्कृतिक विश्वास के रूप में अन्य संबंधित मुद्दे, कलंक और अन्य मनोवैज्ञानिक कारक जो विकलांगता से जुड़े होते हैं। यह अध्ययन समावेशी शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षा की स्थिति का आकलन करने के लिए किया गया था। इस अध्ययन पत्र के द्वारा बिहार जिले के पटना नगरपालिका क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ रहे दिव्यांग बच्चों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई है।

https://www.bsvp.net/2021/02/blog-post.html?m=1

जांजगीर - चांपा

परिचय : जिला जांजगीर-चांपा की स्थापना 25 मई 1998 को हुई थी। जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ राज्य के मध्य स्थित होने के कारण इसे छत्तीसगढ राज्य के हृदय के रूप में माना जाता है। जांजगीर-चांपा के मुख्यालय जांजगीर कलचुरी वंश के महाराजा जाज्वल्य देव की नगरी है। जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ राज्य के प्रमुख अनाज उत्पादक जिलों में से एक है। यहां स्थित विष्णु मंदिर जांजगीर-चांपा जिले के सुनहरे अतीत का प्रतीक है।विष्णु मंदिर वैष्णव समुदाय की प्राचीन कलात्मकता की परिचायक है। हसदेव परियोजना को जिला

जांजगीर-चांपा के लिए जीवन वाहिनी के रूप में माना गया है। इस परियोजना के तहत जिले के तीन चौथाई क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है। जांजगीर-चांपा जिले का मुख्यालय जांजगीर है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर स्थित है। सडक मार्ग द्वारा जांजगीर, बिलासपुर से 65 किमी और छत्तीसगढ राज्य की राजधानी रायपुर से 175 किमी की दूरी पर है।साउथ-इस्टर्न-सेन्ट्रल रेल्वे जांजगीर-चांपा जिले के मुख्यालय जांजगीर से जुडा हुआ है। यह मुम्बई-हावडा मुख्य रेलमार्ग पर स्थित है। रेल मार्ग द्वारा जांजगीर, छत्तीसगढ राज्य की राजधानी रायपुर की दूरी 152 किमी है। जांजगीर-चांपा जिले के मुख्यालय से निकटतम रेल्वे स्टेशन जांजगीर नैला एवं चांपा स्टेशन है।

अध्ययन क्षेत्र : ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करने के लिए मैंने जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ के कुल 15 गावों को प्राथमिक अध्ययन के लिए चुना है | शुरुआत में मैंने तीन गाँव ही लिए थे | कुल 40 दिव्यांग बच्चों का सैम्पल नवागढ़ के 15 गांवों से लिया गया है |

3 शोध - विधि

इस अध्ययन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसका अध्ययन करना है था | अध्ययन के मुख्य लक्ष्य :

(क) नवागढ़ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना|

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक वातावरण और पाठ्य सामग्री की सुगमता और समावेशन की जांच करना|

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को बेहतर एवं सुगम्य बनाने के लिए हिमायत करना|

शोध प्रक्रिया - मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन

शोध पूर्व प्रश्नावली तैयार की गई है | प्रश्नावली को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है

(क) विद्यालय की भौतिक सुगमता और पाठ्य सामग्री की सुगमता के संबंध में शिक्षकों से प्रश्न

(ख) पालकों के लिए प्रश्नावली

(ग) बच्चों के लिए प्रश्नावली

(घ) आंकड़ों और सूचनाओं को घर - घर जाकर एकत्रित किया गया है |

4 नवागढ़ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की संख्या

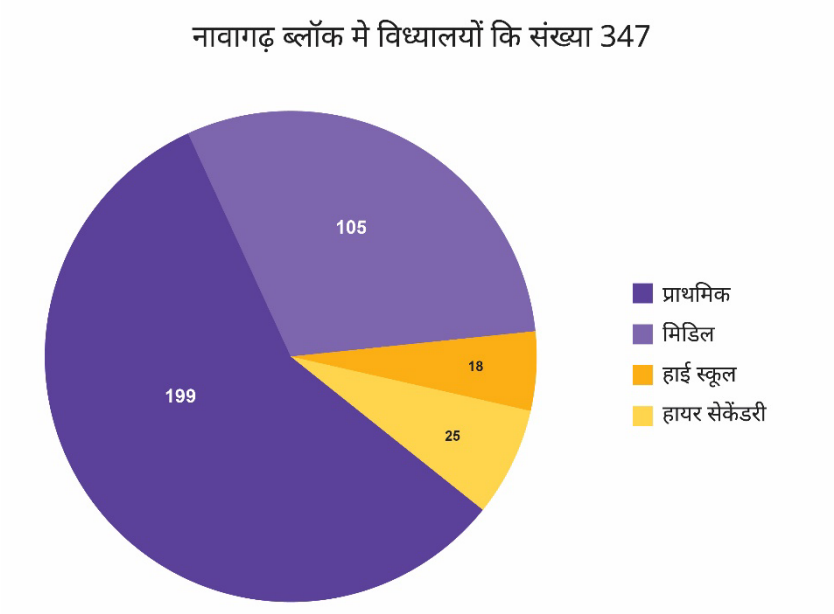

वृत्त चित्र 1 : नवागढ़ ब्लॉक में कुल सरकारी विद्यालयों की संख्या को दिखा रही है |

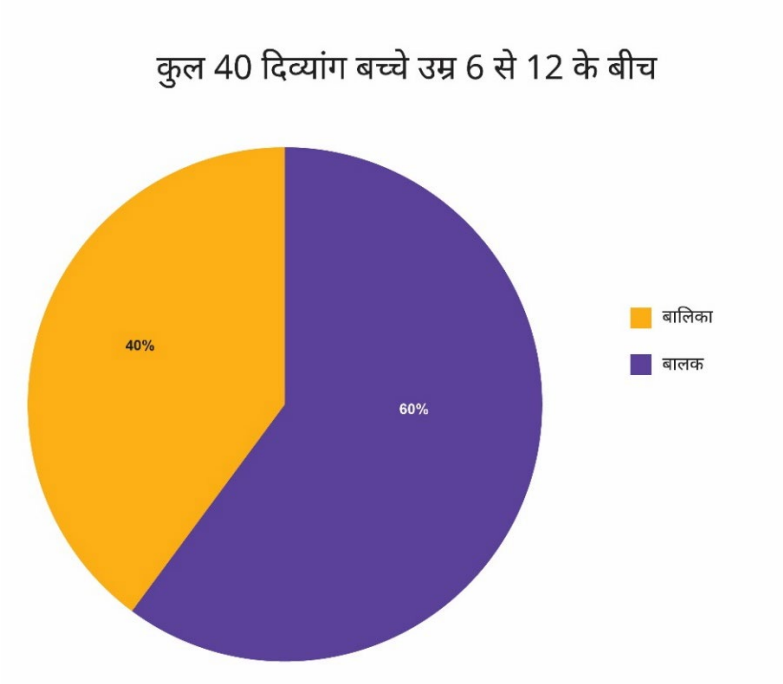

वृत्त चित्र 2

चित्र क : नवागढ़ ब्लॉक के कुल 40 दिव्यांग बच्चों का सैम्पल लिया गया है | कुल दिव्यांग बच्चों में बालकों की संख्या 24 है और बालिकाओं की संख्या 16 है | ये दिव्यांग बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन करने के योग्य हैं |

तालिका 1

दिव्यांग बच्चों की कुल संख्या	लड़का	लड़की
40	24	16

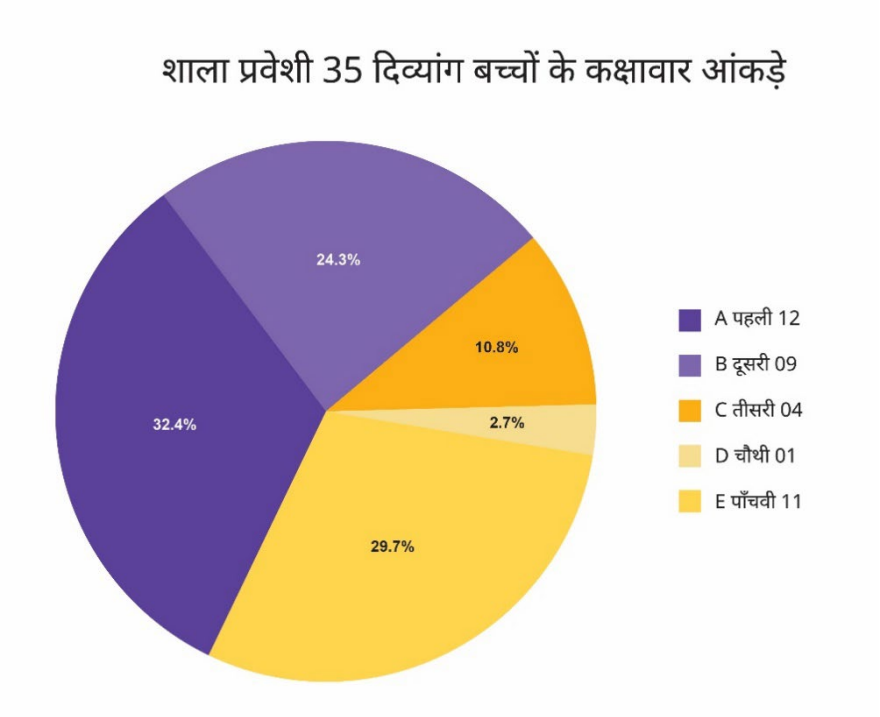

वृत्त चित्र 3

चित्र ख : उपर्युक्त वृत्त चित्र से स्पष्ट है कि नवागढ़ ब्लॉक के कुल 40 दिव्यांग बच्चों में से 35 बच्चों का नामांकन किसी न किसी कक्षा में है जबकि 5 अन्य दिव्यांग बच्चों की पहुँच विद्यालयों तक नहीं हो पा रही है जबकि दिव्यांगजन अधिकार संबंधी कन्वेन्शन 2006 के अनुच्छेद 8 , यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर और छात्रों में इस प्रवृत्ति को निश्चित रूप से बढ़ावा दिया जाए कि दिव्यांग छात्र और अन्य छात्र एक साथ पढ़ाई करें और एक दूसरे की आवश्यकताओं को और पढ़ाई के तरीकों को समझें |

तालिका 2

कुल दिव् यांग बच्चे	शाला अप्रवेशी दिव्यांग बच्चे	शाला अप्रवेशी दिव्यांग बच्चों का प्रतिशत
40	5	12.5

चित्र ग : उपर्युक्त वृत्त चित्र में नवागढ़ ब्लॉक में स्कूलों की संख्या प्रदर्शित है | नवागढ़ ब्लॉक में कुल 94 ग्राम पंचायत हैं और कुल गांवों की संख्या 99 है | यहाँ वृत्त चित्र से यह स्पष्ट है कि ब्लॉक में जितने गाँव हैं उसकी दुगुनी संख्या में प्राथमिक विद्यालय हैं | नवागढ़ ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 199 है अर्थात प्रत्येक गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय अवश्य है ,इसके बावजूद भी 40 दिव्यांग बच्चों में से 5 बच्चे शाला अप्रवेशी की श्रेणी में आ रहे हैं |

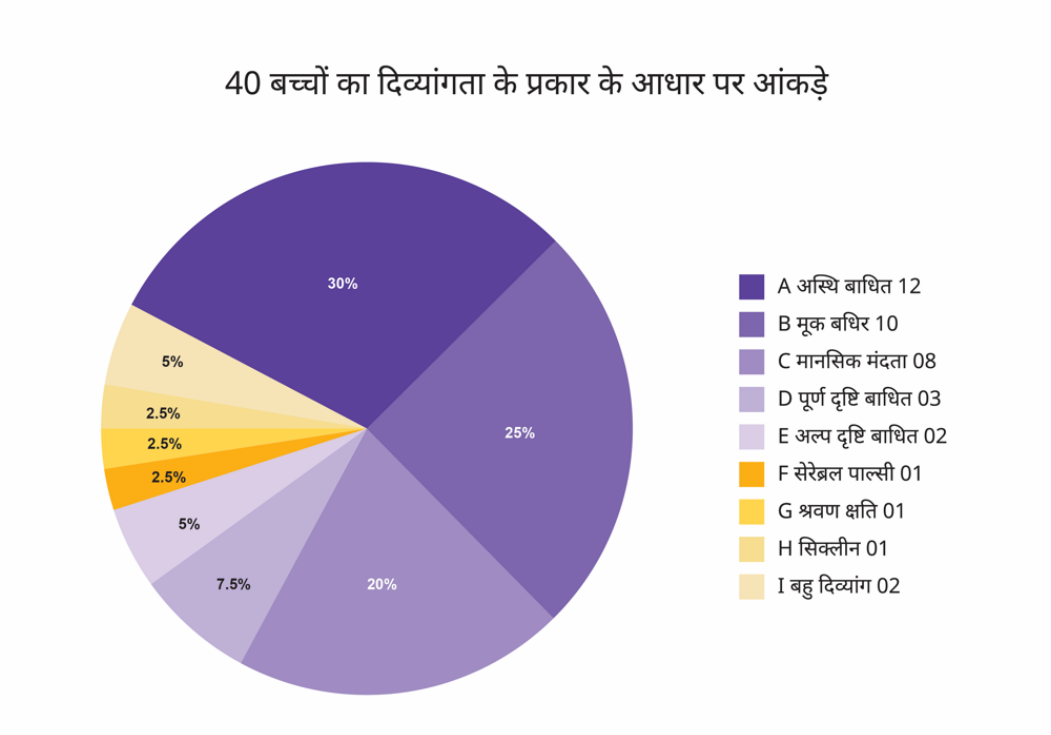

वृत्त चित्र 4

तालिका 2

दिव्यांग बच्चे	आयु वर्ग					
40	6 - 8	%	8 - 10	%	10 - 12	%
	5	12 .5	25	62.2	10	25

5 दिव्यांग बच्चों के समक्ष समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ:

5.1 दिव्यांग बच्चों के माता - पिता का शिक्षा का स्तर

शिक्षा का स्तर	माता की शिक्षा		पिता की शिक्षा	
कक्षा	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
अनपढ़	27	67 .5	22	55
शिक्षित	13	32 .5	18	45

5.2 दिव्यांग बच्चों के माता - पिता की मासिक आय

कुल मासिक आय	कुल परिवारों की संख्या	मासिक आय के आधार पर परिवारों की संख्या	प्रतिशत
3000 रूपए प्रतिमाह से कम	40	25	62 .5
6000 रूपए प्रतिमाह से कम	40	10	25
10000 रूपए प्रतिमाह तक	40	5	12.5

5.3 दिव्यांग बच्चों के घरों एवं विद्यालयों में अपर्याप्त बुनियादी संरचना एवं बाधा रहित वातावरण का अभाव का होना

घरों एवं विद्यालयों मे बाधा मुक्त वातावरण			
कुल घर	बाधा मुक्त वातावरण वाले घरों की संख्या	प्रतिशत	विद्यालय
40	8	20	पूर्ण रूप से किसी भी विद्यालय में नहीं

5.4

दिव्यांग बच्चों को घर से विद्यालय आने - जाने में होने वाली परेशानी			
प्रतिक्रिया	दूरी	संख्या	प्रतिशत
घर से	500 मीटर	15	37 .5
विद्यालय की दूरी	से 1 किलोमीटर	25	62 .5

5.5 विद्यालय से घर आने - जाने की सुविधा

प्रकार	संख्या	प्रतिशत
अकेले विद्यालय जाते हैं	15	37.5
ऑटो के द्वारा	5	12.5

माता - पिता के साथ	20	50
कुल	40	100

5.6 दिव्यांग बच्चों के माता - पिता तक स्मार्ट फोन की पहुँच का नहीं होना:

वर्तमान समय में तकनीकी और इंटरनेट की अच्छी पहुँच भी अध्ययन को सुगम्य और समावेशी बनाती है | ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांग बच्चों के पालकों के पास स्मार्टफोन तक पहुँच बहुत ही कम है | कोरोना काल में दिव्यांग बच्चे ऑन लाइन शिक्षा से वंचित हुए इसमें ये भी एक बड़ा कारण है | सुदूर ग्रामीण इलाकों में दिव्यांग बच्चों के पालकों को जीविकोपार्जन करने में ही कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है |

5.7 दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालयों में पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी:

शिक्षकों को प्रशिक्षित नहीं किए जाने पर दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को समझना उनके लिए कठिन हो जाता है | गाँव के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से साक्षात्कार के दौरान यह बात सामने आई कि शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी है |

5.8 विशेष शिक्षकों की समस्याएं:

विशेष शिक्षकों की संख्या पर्याप्त मात्रा में नहीं है | एक ब्लॉक में केवल एक स्पेशल एज्यूकैटर होने की वजह से वे चाह कर भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पाएंगे | दिव्यांग बच्चों की पहचान समय पर करने के लिए प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक विशेष शिक्षक होना चाहिए जबकि स्थिति तो यह है कि एक ब्लॉक में एक विशेष शिक्षक है |

5.9 सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की समस्याएं:

सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण वे दिव्यांग बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं | कहीं कहीं तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए एक ही शिक्षक नियुक्त होता है जो कि बच्चों की भविष्य के लिए चिंता का विषय है | ऐसे में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समस्याएं और बढ़ जाती हैं | समझ में नहीं आने पर भी वे एक ही शिक्षक से पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं |

5.10 समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कुछ रूढ़िगत बाधाएं:

माता - पिता , शिक्षक और आस - पास के लोगों का दिव्यांग जनों के प्रति निकृष्ट सोच रखना भी उनकी क्षमता और मानसिक विकास को प्रभावित करता है | कोई भी मनुष्य की दुर्बलता उसके विकास में बाधक न बने ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए |

केस अध्ययन 1

पूजा कश्यप (दृष्टि बाधित)

चित्र(क) पूजा कश्यप के साथ मैं

पूजा कश्यप 12 साल की है और सौ प्रतिशत दृष्टि बाधित है | उसके परिवार में पूजा के अतिरिक्त उसके दादाजी , ममी - पापा और एक भाई तथा एक बहन भी है | परिवार में कुल छह सदस्य हैं | पूजा से मेरी मुलाकात जून 2023 में फील्ड के दौरान हुई थी जब मैं स्वयं बी ई ओ ऑफिस से प्राप्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची में उसका नाम देखा ,तब मैं उसे खोजते हुए उसके गाँव और घर तक गई थी |

पूजा को दृष्टि बाधित और लड़की होने की वजह से आज तक सामान्य स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा था जबकि उसके घर से महज दस कदम की दूरी के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय है | मैंने शिक्षकों से बातचीत करके और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में शिक्षकों को बताकर उसका प्रवेश उसके ही गाँव कामता के प्राथमिक विद्यालय में कराया |

पूजा को मैं स्वयं प्रति सप्ताह दो या तीन दिन का समय निकाल कर एक घंटा पढ़ाती हूँ | पूजा के जीवन में इन छह महीनों में विशेष परिवर्तन देखने को मिल रहा है | पढ़ाई - लिखाई करने के कारण अब उसके आचार - व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है | हालांकि मेरे बार - बार कहने के बावजूद पालक उसे स्कूल नहीं ले जाते हैं | कहते हैं - “हमारे पास समय नहीं है | ” मुझे ब्रेल लिपि नहीं आती थी | मैं पूजा के लिए अब ब्रेल लिपि भी सीख रही हूँ | दिव्यांगता और लिंग के आधार पर किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित करना एक तरह से उस बच्चे के साथ क्रूर अन्याय है |

केस अध्ययन 2

रानी यादव (दृष्टि बाधित)

चित्र ख - रानी यादव के साथ मैं

रानी यादव ग्राम पंचायत काँसा में अपने मम्मी - पापा और एक भाई और एक बहन के साथ रहती है | रानी सौ प्रतिशत दृष्टि बाधित है | रानी के पापा खेती - किसानी करते हैं और माँ गृहिणी है | पूजा का परिवार संयुक्त परिवार है उसके घर में उसके चाचा - चाची भी हैं और परिवार में उससे छोटे कई बच्चे भी हैं | रानी का प्रवेश स्कूल में है पहले से ही लेकिन कई साल पहले उसका प्रवेश हुआ था और पालकों के पास उसके विद्यालायीन प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं है | शिक्षक भी उनसे मिलना जरूरी नहीं समझते हैं जबकि स्कूल घर से ज्यादा दूर नहीं है |

रानी अपने भाई - बहन जो पढ़ते हैं उसे सुनकर ,बिना स्कूल गए भी हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला पढ़कर सुना देती है | जब मैंने उसे स्कूल भेजने की बात कही तब रानी की मम्मी ने बताया कि उसे मिर्गी का दौरा भी आता है इसलिए स्कूल नहीं भेजते हैं |

रानी होनहार है लेकिन अपनी दिव्यांगता और बीमारी की वजह से वह शिक्षा से वंचित हो रही है जबकि ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होम बेस्ड एजुकेशन का भी प्रावधान है | जिस विद्यालय में रानी का प्रवेश हुआ है वहाँ के शिक्षकों को उसकी सुध लेनी चाहिए |

केस अध्ययन 1 और केस अध्ययन 2 का तुलनात्मक अध्ययन:

पूजा कश्यप और रानी यादव दोनों ही अपनी शिक्षा के लिए एक तरह की स्थितियों का सामना कर रहे हैं इसके बावजूद रानी यादव बिना स्कूल गए भी वर्णमाला ,गिनती आदि को मुखाग्र सुना देती है ,जबकि पूजा को बार - बार याद कराने पर भी वो उसे अपनी स्मृति में नहीं बैठा पा रही है इसका मुख्य कारण निम्न हैं |

1. **भौतिक परिवेश** - पूजा का घर गाँव के अंतिम छोर पर है जहां ज्यादा लोग नहीं रहते हैं जबकि रानी का घर बस्ती के अंदर है | रानी अपने परिवेश के अनुरूप सीखते गई जबकि पूजा एकाकीपन का शिकार होते गई और उसकी सीखने की क्षमता भी कम होते जा रही है

2. **सामाजीकरण** - रानी के घर में बहुत सारे उनके उम्र के और उनसे छोटे बच्चे हैं अतः वह उनके साथ रहते और खेलते हुए स्वतः सीख रही है जबकि पूजा के भाई - बहन स्कूल चले जाते हैं तो वह चार से पाँच घंटा घर में अकेले काटती है और मम्मी - पापा भी खेत में काम करने चले जाते हैं |

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भौतिक और सामाजिक वातावरण भी दिव्यांग बच्चों की अधिगम क्षमता को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से प्रभावित कर रही है |

6 निष्कर्ष एवं सुझाव

दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना आज भी एक विकराल चुनौती बनकर हमारे समक्ष खड़ी हुई है | एक तरफ हम चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच रहे हैं जबकि हमारे ही समाज में दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हो रहे हैं | शासन के अलावा विभिन्न स्टैक होल्डरों को भी इस पर गंभीर विमर्श की आवश्यकता है | दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 20 16 जैसे मत्वपूर्ण कानून बन जाने के बावजूद भी आज भी हमारे समाज में दिव्यांग जनों को अन्याय और शोषण का सामना करना पड़ता है | समुदाय ,शासन और व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी के साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस पर जरूर विचार करना चाहिए और दिव्यांगजनों का अपने समाज में सर्वांगीण समावेश किए जाने की नितांत आवश्यकता है |

7 संदर्भ

1. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegZ0nBkN1erK2hP94bNflF8_qEE7PNjtPSm0KbKJRj6RAEZw/viewform
2. https://hi.vikaspedia.in/social-welfare/92c93e92793e91794d93093894d924-93294b91794b902-91593e-93893691594d924940915930923/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF
3. https://samanyagyanedu.in/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%B8
4. विभिन्न स्टैक होल्डर के साथ बैठक
5. शिक्षकों से मुलाकात ,साक्षात्कार
6. पालकों से साक्षात्कार
7. बच्चों से साक्षात्कार

www.ncpedp.org 011 2622 1276 @ncpedp_india